

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी—मांगीलाल आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा:-251 ए आरटीए

प्रकरण संख्या:-35/2018

1. विजयसिंह } पि० मनफुल जाति कुम्हार निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला
2. सुभाष } हनुमानगढ। प्रार्थीगण

बनाम्

1. रामकुमार पुत्र मनफुल जाति कुम्हार निवासी कुलचन्द्र हाल आबाद गली नम्बर 9,
रामदेव कॉलोनी, नजदीक सैक्टर नं० 17, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

2. चन्द्रपाल पुत्र लाधुराम } जाति कुम्हार निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला

3. रामलाल पुत्र लाधुराम } हनुमानगढ।

4. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

अप्रार्थीगण



उपस्थित—श्री नरेन्द्रपाल वर्मा अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री महावीर प्रसाद वर्मा अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक :- 09.12.2020

प्रार्थीगण विजयसिंह आदि ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र 251ए आरटीए के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि प्रार्थी सं० 1 विजयसिंह के नाम से चकनं० 8 सीडीआर के खाता सं० 124/106 प०न० 224/248 मु० 3 के किलानं० 25, प०न० 225/248 मु० 4 किलानं० 21 ता 24, प०न० 225/249 मु० 15 के किलानं० 1 कुल 1.518 है० मय गै०मु० कृषि भूमि एवं प्रार्थी सं० 2 सुभाष के नाम से चकनं० 8 सीडीआर के खातासं० 148/128 प०न० 224/248 मु० 3 के किलानं० 16, प०न० 225/248 मु० 4 किलानं० 17 ता 20 कुल 1.265 है० कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थी सं० 1 रामकुमार के नाम से चकनं० 8 सीडीआर के खातासं० 108/92 प०न० 224/248 मु० 3 किलानं० 1 ता 4 कुल .974 है० कृषि भूमि तथा अप्रार्थी सं० 2 चन्द्रपाल के नाम से इसी चक के खाता सं० 37/33 प०न० 224/248 मु० 3 किलानं० 5,6,7, प०न० 225/248 मु० 4 किलानं० 1, 6 ता 10,13 ता 15 कुल 2.669 है० एवं अप्रार्थी सं० 3 के नाम से इसी चक के खाता सं० 113/97 प०न० 224/248 मु० 3 के किलानं० 15, प०न० 225/248 मु० 4 किलानं० 11,12 कुल .949 है० कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की दफा 3 में दर्ज चालू रास्ता से होते हुए अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करते हैं उक्त चालू रास्ता के अलावा प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के दादा एक ही थे जिनकी मृत्यु के पश्चात कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पिता आपस में भाई थे जिन्होंने अपने जीवनकाल में ही उक्त रास्ता बाबत आपस में घरू बटवारा करीब 30 वर्ष पूर्व कर लिया था। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की दफा 3 में दर्ज चालू रास्ता को राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाकर गै०मु० रास्ता का अंकन करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
टिब्बी